चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 06.05.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2019 धारा 342,354 भादवि व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र किरचू निवासी ग्राम सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 21.01.2019 को एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र किरचू निवासी ग्राम सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा उसकी नाबालिक पुत्री को घर में घसीटकर लेजाकर छेड़खानी करना । इस सूचना पर थाना कोत0 कर्वी में मु0अ0सं0 37/2019 धारा 342,354 भादवि0, 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्रीमती रीता मौर्या द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 22.01.2019 को आरोपी उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 11.02.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(4). अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार आज दिनाँक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा चित्रकूट इण्टर कॉलेज के बच्चों को पटेल तिराहा पर वाहन चालकों को जागरूक कराते हुए संक्षिप्त अवधि के लिए यातायात संचालन कराया गया । इस दौरान प्रभारी यातायात द्वारा स्कूल के बच्चों को कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सड़क सुरक्षा नियमों और यातायात के प्रति जागरूक करना था । जिसमें सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को यातायात नियमों, सिग्नल्स का पालन करने और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया गया । हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने और पैदल चलते समय सावधानी बरतने जैसे नियमों पर विशेष ध्यान दिलाया गया ।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी श्री फदल अली की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई । पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में इस वर्ष में हुई पैरवी के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी एजेन्डा बिन्दु थाना काजलिस्ट रजिस्टर, दिनांकवार काजलिस्ट रजिस्टर, साक्षी उपस्थित रजिस्टर, पर्चा फैसला रजिस्टर, रजिस्टर आरोप तय 313 सीआरपीसी, निर्गत सम्मन दर्ज करने हेतु रजिस्टर, रिमाण्ड रजिस्टर एवं सम्मन/वारण्टी रजिस्टर तैयाकर करने व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा शाखा सम्मन सेल द्वारा कार्यालय के अन्दर जनपद रजिस्टर/बाहर रजिस्टर में अंकित करके सम्बन्धित थानों की डाकबहियों में अंकित करके डाक पैरोकार के माध्यम से थानों में तामिल करने हेतु भेजे एवं सजा

दिलाने हेतु पैरोकारों द्वारा बुलाए गये साक्षियों की शत् प्रतिशत साक्ष्य सुनिश्चित कराने हेतु,माननीय न्यायालय में साक्षियों के हस्ताक्षर कराने हेतु रजिस्टर रखने एवं उसमें हस्ताक्षर कराने हेतु कोर्ट मुहर्रिर को निर्देशित किया गया। इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, सम्मन सेल प्रभारी उ0नि0 श्री ननकऊ गौतम,पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). भारत सरकार,गृह मंत्रालय,महानिदेशक अग्निशमन सेवा,नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक नई दिल्ली के अनुक्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अनुपालन में आज दिनाँक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में मॉकड्रिल/अभ्यास आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद के और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गोष्ठी का मकसद आपातकालीन स्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कदम उठाने की तैयारी का आकलन करना है। इसमें अलग – अलग स्थानों पर सायरन बजाकर ब्लैक आउट किया जाता है। ब्लैक आउट के दौरान घर की सभी लाइटों को बंद करवा दिया जाता है। यहां तक कि इन्वर्टर से भी लाइट जलाने की मनाही होती है साथ ही साथ ये भी निर्देश दिये जाते है कि जो लोग बाहर हो, वह अपने अपने घरों में चल जाएं। सायरन की आवाज इतनी तेज होती है कि एक प्रभाग में बजाए जाने पर लगभग दो से ढाई किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय लिया गया है कि संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए सभी जिलों में सिविल प्रशासन,पुलिस प्रशासन,अग्निशमन सेवा,आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर यह मॉक ड्रिल की जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम इन चीजों से निपट सकें।
इस गोष्ठी में उप जिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू,क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री अरविन्द कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा,क्षेत्राधिकारी फहद अली,जिला विद्यालय निरीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,वाचक श्री राजीव कुमार सिंह एवं पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहें।